विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थानों में संकायों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश

प्रस्तावना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि॰अ॰आ॰), विश्वविद्यालयी शिक्षा का संवर्धन और समन्वय करने और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थानों (अर्थात् उच्चतर शिक्षा संस्थानों अथवा ''एचईआई'') में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों का निर्धारण और रखरखाव करने के लिए अधिदेशित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018, उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव और वेतनमानों की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशकों के संवर्गों हेतु नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं और अन्य सेवा शर्तों का उपबंध करता है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तायुक्त शिक्षण संकायों में शिक्षकों की कमी, वर्तमान में, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक है। यह उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त रूप से आवश्यक अर्हता पूर्ण करने वाले योग्य उम्मीदवारों से रिक्त संकाय पदों पर समय से भर्ती सुनिश्चित की जा सके।

चयन प्रक्रिया

1. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनके अधिनियमों, परिनियमों अथवा संघटक दस्तावेजों के अनुसार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुरूप चयन प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

2. तथापि, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी रिक्त पदों के साथ– साथ आरक्षण संबंधी ब्यौरे को ऑनलाइन पोर्टल <https://nherc.in> पर अपलोड किया जाए। रिक्तियों को भरने की निगरानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

3. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नीचे दी गई समयावधि के अनुसार चयन प्रक्रिया को आरंभ करके छह माह के भीतर पूर्ण करना चाहिए ।

भर्ती हेतु समयावधि :

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रिक्त शिक्षण पदों पर भर्ती करने के लिए नीचे दी गई छह माह की समयावधि का पालन करना चाहिए:

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	विवरण	समयावधि
1.	रिक्तियों की पहचान	उच्चतर शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों / विद्यालयों में मौजूदा रिक्त शिक्षण पदों और अगले छह महीनों के दौरान रिक्त होने की संभावना वाले पदों की संख्या के साथ–साथ आरक्षण रोस्टर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षित पदों का आंकलन करना और उन्हें, उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर अधिसूचित करना	भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर
2.	रिक्तियों को भरने के लिए अनुमति	उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रस्ताव भेजने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी रिक्तियों को भरने की अनुमति देगा, ऐसा न होने की स्थिति में इसे अनुमोदित किया गया माना जाएगा।	अगले तीस दिनों के भीतर
3.	रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करना	आवेदन प्राप्त करने हेतु एक महीने की नोटिस अवधि के साथ राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, रोजगार समाचार और उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर रिक्त पदों का विज्ञापन	अगले पंद्रह दिनों के भीतर
4.	चयन समिति का गठन	उच्चतर शिक्षा संस्थान के अधिनियमों और परिनियमों के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाना	अगले पंद्रह दिनों के भीतर। इसे उपर्युक्त क्रियाकलाप संख्या 2 और 3 के साथ–साथ किया जा सकता है।
5.	चयन समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित करना	चयन समिति की बैठकों तिथियों का निर्धारण करना और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सदस्यों द्वारा पुष्टि करना।	अगले पंद्रह दिनों के भीतर

6.	आवेदनों की संवीक्षा करना	लघुसूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की संवीक्षा करना और साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए पत्र जारी करना और उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करना।	अगले तीस दिनों के भीतर
7.	साक्षात्कार प्रारंभ करना	चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाना और अभ्यर्थियों का चयन	अगले तीस दिनों के भीतर
8.	सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन	उच्चतर शिक्षा संस्थान के सांविधिक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना और नियुक्ति पत्र जारी करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोडिंग	अगले तीस दिनों के भीतर

चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से न्यूनतम अर्हता संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानदण्डों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 तथा समय समय पर यथासंशोधित के अनुरूप ही होनी चाहिए।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप संस्थानों के खिलाफ उचित कार्यवाही हो सकती है, जिसमें अनुदान रोका जाना शामिल है।

सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग